कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पत्रांक 284 /14-16 दिनांक जौनपुर जुलाई, 18 ,2018

सेवा में,

डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0,
एन0एच–31, बाबतपुर रोड,
पोस्ट–हरहुआ, वाराणसी–221105

विषयः– जनपद जौनपुर में चीफ डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हरहुआ, वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (इलाहाबाद–मु0 बादशाहपुर) (एस0एच0–07) किमी0 45 चैनेज 200–400 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम मड़िया भीखपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर के आराजी नं0 2638 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075518 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या–पी–106 / 14–2–2018–800(97) / 2018 दिनांक 13.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन कतिपय शर्तो के साथ प्रश्नगत् रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु संरक्षित वनभूमि के प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शर्तो को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. **शर्त संख्या 1–** इस आशय की वचनबद्धता कि वनभूमि के एक्सीलेशन / डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास / प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. **शर्त संख्या 2–** सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो सम्बन्धित सहमति पत्र।
3. **शर्त संख्या 3–** फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय, जो बाहरी दिवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
4. **शर्त संख्या 4–** सम्पर्क मार्ग से सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
5. **शर्त संख्या 5–** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.075518 हे0 से अधिक नही होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
6. **शर्त संख्या 6–** इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
7. **शर्त संख्या 7–** शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक / नोडल, कार्यालय अथवा कैम्पा कार्यालय द्वारा जनरेट चालान के अनुसार निम्न प्रकार जमा की जाय।

Scanned by CamScanner

क्रम सं0	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रू0में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.075518 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	47,275.00
2	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव	(C.A) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1,44,700.00
		योग–	1,91,975,.00

8. **शर्त संख्या 8–** उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिंया, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑन लाईन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया जायेगा।
9. **शर्त संख्या 9–** वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा सम्बन्धित सहमति।
10. **शर्त संख्या 11–** प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय सम्बन्धि सहमति पत्र।
11. **शर्त संख्या 12–** प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धित सहमति पत्र।
12. **शर्त संख्या 13–** प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी, अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधिन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगें यदि उक्त व्यक्तिों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
13. **शर्त संख्या 14–** उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत् अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वनविभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी सम्बन्धित सहमति पत्र।
14. **शर्त संख्या 15–** भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J–11013/41/2006– I ए0–एच9(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टी से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
15. **शर्त संख्या 16–** उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
16. **शर्त संख्या 17–** राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधिन होंगी।
17. **शर्त संख्या 18–** इस आशय की वचनबद्धता कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

Scanned by CamScanner

18. **शर्त संख्या 19**— इस आशय की वचनबद्धता कि यदि प्रश्नगत् परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत् भूमि सेंन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
19. **शर्त संख्या 21**—प्रश्नगत् परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है। सम्बन्धित सहमति।
20. **शर्त संख्या 22**— इस आशय की वचनबद्धता कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21. **शर्त संख्या 23**— इस आशय की वचनबद्धता कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय—समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
22. **शर्त संख्या 24**— इस आशय की वचनबद्धता कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश दिनांक 11.07.2104 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
23. **शर्त संख्या 25**— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11—9/98—एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू—संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
24. **शर्त संख्या 26**— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या— एफ0एन0 सं0— 11—268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा—निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले—आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा, सम्बन्धित सहमति।
25. **शर्त संख्या 27**— 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव सम्बन्धित धनराशि उपरोक्तानुसार जमा करें व पावती प्रस्तुत करें।
26. **शर्त संख्या 28**— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
27. **शर्त संख्या 29**— उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(ए0पी0पाठक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या / समदिनांक
प्रतिलिपि— उक्त के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

(ए0पी0पाठक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

Scanned by CamScanner